1176

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

टिप्पणी एवं आदेश

आयुक्त/अध्यक्ष महोदय

दिनांक 25.06.1994 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त आ

अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

उप

म0दे0वि

दिनांकः 7.7.94

COMMISSIONER
GARHWAL MAN
PAURI

(५)

री देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.6.94 में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति :

-	श्री एम0रामचन्द्रन्, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
-	श्री के0एल0शर्मा,उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0	उपाध्यक्ष
3-	श्री ओम प्रकाश उनियाल	सदस्य
4-	श्री गिरिधर शर्मा,	सदस्य

प्रतिनिधि सदस्य :

1- श्री वी0वी0गुलाटी, अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0लो0नि0वि0, देहरादून

2- श्री बृज बी0रतन, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग,गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून

3- श्री सोहन सिंह रावत,अधिशासी अधिकारी,नगरपालिका, देहरादून।

4- श्री धर्मेन्द्र प्रसाद जुयाल, अधिशासी अधिकारी,नगरपालिका, मसूरी

5- श्री ए0के0द्विवेदी,सहायक निदेशक, पर्यटन,उत्तराखण्ड,देहरादून

अन्य उपस्थिति :

1- श्री श्रवण कुमार, सचिव, म0दे0वि0प्रा0

श्री पी0एस0जंगपांगी,संयुक्त सचिव, म0दे0वि0प्रा0

श्री रतन सिंह, अधिशासी अभियंता ,म0दे0वि0प्रा0

एस0एन0 खन्ना, अवर अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

...स्थित नहीं हो सके :

विशेष सचिव,वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ

विशेष सचिव, उत्तराखण्ड, विकास विभाग,लखनऊ

संयुक्त सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन,लखनऊ

4- निदेशक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, उ0प्र0 लखनऊ

5- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून

6- अधिशासी अभियंता, आवास विकास परिषद, देहरादून

<u>बैठक की कार्यवाही की पुष्टि</u> :

गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि निम्नांकित संशोधनों के साथ की गई :
प्राधिकरण द्वारा (सुमन नगर) मसूरी में अल्प आय वर्ग, एवं निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के
बनाए जाने के संबंध में नगर परिषद-मसूरी द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने के विषय में सदस्य श्री
प्रकाश उनियाल द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में तत्कालीन नगरपालिका बोर्ड द्वारा सुमन
उक्त श्रेणी के भवनों के निर्माण हेतु प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध कराए जाने हेतु एक प्रस्ताव
को भेजा गया था, लेकिन अब तक इस सम्बन्ध में अग्रेतर कोई प्रगति नही हुई है। अध्यक्ष
र्देशित किया गया कि उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० इस संबंध में सचिव, नगर विकास से पत्राचार कर
प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने हेतु कार्यवाही करें। यह भी निर्णय हुआ कि शासन की स्वीकृति की
ग में इस स्थल का सर्वे आदि करा लिया जाए।

इसी क्रम में उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० द्वारा बैठक में यह प्रस्ताव भी किया गया कि अवैध
ं को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से मसूरी में उच्च आय, मध्य आय एवं निम्न आय वर्ग के
यों के लिए भी एक आवासीय योजना बनाया जाना श्रेयस्कर होगा। इस संबंध में सर्वसम्मति से
लिया गया कि प्राधिकरण, मसूरी में किसी उपयुक्त स्थान पर इस हेतु भूमि चयन कर उसे आगामी
में प्रस्ताव सहित प्रस्तुत करें। यह भी सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि इस संबंध में शासन के
तम शासनादेशों के अनुरूप, प्राधिकरण द्वारा भवन निर्मित कर लोगों को उपलब्ध कराने के बजाय
ों का विकास कर आवंटन किया जाए और इन भूखण्डों पर निर्माण हेतु आवंटियों को प्राधिकरण
माडल मानचित्र तैयार कर उपलब्ध कराये जाएं।

चिल्ड्रेन्स अकादमी द्वारा बगराल गांव में प्रस्तावित स्कूल भवन के संबंध में बैठक में अवगत
या गया कि चिल्ड्रेन्स अकादमी के प्रधानाचार्य द्वारा ग्राम बगराल गांव में प्रस्तावित कक्षाओं एवं
ार्थियों के आवास निर्माण पर परिवर्तन शुल्क न लिये जाने का अनुरोध किया गया है ओर उन्होंने
ने प्रार्थनापत्र में ऐसे दो प्रकरणों का उल्लेख किया है जिनमें मानचित्रों की स्वीकृत पर कोई परिवर्तन
क नहीं लिया गया था।

चर्चा, के दौरान सदस्यों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि इस संस्था द्वारा जिन अन्य
णों का संदर्भ, देते हुए अपने प्रकरण में छूट याचित की गई है वह बिलकुल भिन्न प्रकार के तथा
संस्था द्वारा चलाया जा रहा स्कूल पूर्णतः व्यावसायिक है। अतः इस हेतु प. . शुल्क में छूट दिया
उचित नही है। लेकिन प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस मामले में पूरे प्लाट एरिया
चार्जेज लेना प्रस्तावित है, जबकि यह कवर्ड एरिया पर होना चाहिए।

विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि इस संबंध में विस्तृत रूप से विधिक व
की दृष्टि से परीक्षण कराकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में स्थिति प्रस्तुत की जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में एकल भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत करते समय प्राधिकरण द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया एवं लिये जाने वाले विकास शुल्क के संबंध में सदस्य श्री ओम प्रकाश उनियाल व श्री नारधर शर्मा, द्वारा की गई जिज्ञासा पर पुनः स्पष्ट किया गया कि यह प्रक्रिया पूर्व के निर्णयानुसार पहले ही सरल कर दी गई है तथापि उचित होगा यदि तद्सम्बन्धी विकल्प एवं सुझाव लिखित रूप से सदस्यगण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखे जाने के लिए उपलब्ध कराए जिससे कि प्राप्त सुझावों पर विचार किया जा सके।

वर्ष, १९९४-९५ के लिए प्रस्तावित बजट को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया कि देहरादून विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विकास कार्यों, के मद में एक करोड़ रुपये की धनराशि तथा मसूरी क्षेत्र के लिए चालीस लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान किया जाए। कार्य का चयन ऐसे क्षेत्र में करें जहां वर्षों से कार्य न हो पाया हो, अन्य एजेन्सियां कार्य न कर पाती हों या व्यापक क्षेत्र के स्तर में कार्य हो, ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्याप्त कार्य हो।

मसूरी महायोजना को अन्तिम रूप दिये जाने के संबंध में अंकित निर्णय पर सहयुक्त नियोजक, एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि मसूरी महायोजना के प्रारूप का हैण्ड आऊट लगभग एक पक्ष के अन्दर जनता की आकांक्षाओं के समाधान व सुझाव हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा एक माह का समय सुझाव प्राप्ति हेतु रखा जाएगा। विचार-विमर्श, के उपरान्त यह निर्णय हुआ कि सकारात्मक सुझावों का भी समावेश महायोजना प्रारूप में किया जाए। इसके उपरान्त प्रारूप महायोजना २०११ को प्रदर्शत किया जाए।

सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि मसूरी झील का ठेका देते समय निर्धारित शर्तों एवं उपबंधों में ऐसा प्राविधान रखा जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु वरीयता दी जा सके।

प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आचार्य तुलसी चेतना फाउण्डेशन, १२२ नैशविला रोड, देहरादून द्वारा चलाये जाने वाले प्रसूति गृह एवं प्राथमिक उपचार केन्द्रों के निर्माण के पश्चात उनका रखरखाव सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम प्रधान को सौंपे जाने तथा इनका स्वामित्व प्राधिकरण के पास रखे जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

उपरोक्त संशोधनों के साथ दिनांक २५-६-९४ को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

... ४

न महायोजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में :

उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया कि देहरादून जना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की गत बैठकों में विस्तृत रूप से र-विमर्श हुआ था। इस सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त देहरादून ायोजना की विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से विस्तृत अध्ययन कर विचारणीय बिन्दुओं संस्तुति देने हेतु निम्नवत् एक समिति का गठन किया गया था :

-जिलाधिकारी, देहरादून	सदस्य
उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0	सदस्य
ध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून	सदस्य
ाहयुक्त नियोजक	संयोजक

उक्त समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियां तथा सम्बन्धित विस्तृत मानचित्र समिति के ...जक द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए। विस्तृत विचार-विमर्श के उपरोक्त ि-सम्मति से बिन्दुवार निम्नांकित निर्णय लिए गए :

बैठक में अवगत् कराया गया कि देहरादून में पटेलनगर के लगभग 12 हैक्टेअर् त्र में आवासीय उपयोग वाली भूमि को औद्योगिक उपयोग के विस्तार हेतु महायोजना में ारक्षित होने के कारण प्राधिकरण द्वारा यहां पर आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं किये ा रहे हैं जबकि प्रश्नगत स्थल में अधिकांश आवासीय भवन बन चुके हैं और अब यहां पर ौद्योगिक विकास हेतु आरक्षित भूमि की अनउपलब्धतता के कारण औद्योगिक विकास की कोई म्भावना नहीं है। अतः इस क्षेत्र को नियोजन मानकों पर समुचित पार्क, मार्ग, सामुदायिक ुविधायुक्त आवासीय मध्यम घनत्व क्षेत्र में विकसित करना उचित होगा। सदस्यों की जिज्ञासा पर अवगत् कराया गया कि उपरोक्त वर्णित जिस भूमि का भूउपयोग परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है, उसका सजरा प्लान प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है और इस प्लान को बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रश्नगत स्थल पर कोई औद्योगिक ईकाई नहीं है और न ही कोई ऐसा प्रस्ताव वर्तमान में प्राधिकरण के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। अतः महाप्रबन्ध जिला उद्योग केन्द्र से इस तथ्य की पुष्टि कराने के निर्देश हुए कि भविष्य में प्रश्नगत क्षेत्र में किसी प्रकार की औद्योगिक ईकाई स्थापित किए जाने का प्रस्ताव उनके पास लम्बित नहीं है और उन्हें भूउपयोग परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है। उक्त शर्त के साथ सर्व-सम्मति से भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। तदनुसार प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने के निर्देश हुए।

2.2

सहारनपुर चौक से बिन्दाल नदी तक कांवली रोड़ के दोनों ओर 6-6 मीटर के भाग को फुटकर व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून द्वारा अवगत् कराया गया कि प्रश्नगत सड़क नगरपालिका की है और वर्तमान में इस सड़क के चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव नगरपालिका के पास विचाराधीन नहीं है। अतः विचारोपरान्त स्थल की वास्तविक स्थिति को देखते हुये सहारनपुर चौक से बिन्दाल नदी तक कांवली रोड़ के दोनों ओर 6-6 मीटर के भाग (लगभग 2 हैक्टेअर भूमि) को फुटकर व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित किए जाने, कांवली रोड़ स्थित चौराहे पर एवं लवली मार्केट से आगे पंडितवाडी तक मार्ग के दोनों ओर के 6 मीटर भाग को मार्गाधिकार से व्यावसायिक उपयोग (लगभग 2 हैक्टेअर भूमि) तथा प्रस्ताव में उल्लिखित अवशेष (लगभग 5 हैक्टेअर भूमि) क्षेत्र को आवासीय मध्यम घनत्व में परिवर्तित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया। तद्नुसार प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ, प्रेषित करने के निर्देश हुए।

2.3

हरिद्वार मार्ग पर रिस्पना नदी से जोगीवाला-बदरीपुर क्रासिंग तथा रायपुर मार्ग की ओर का क्षेत्र एवं मोहकमपुर ग्राम के मुख्य मार्ग के दोनों ओर के क्षेत्र में फैले लगभग 375 हैक्टेअर भूमि में हुए अवैध निर्माणों तथा अनधिकृत भू विभाजन के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ । बैठक में तत्सम्बन्धी मानचित्रों को भी प्रस्तुत किया गया। अवलोकनोपरान्त तथा स्थल की वास्तविक स्थिति को देखते हुये तथा देहरादून महायोजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा सुझाये गये तथ्यों के अनुरूप सर्व-सम्मति से प्रस्ताव में वर्णित उक्त स्थलों की लगभग 375 हैक्टेअर भूमि का भूउपयोग कृषि से आवासीय न्यून घनत्व में परिवर्तित किए जाने हेतु सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय हुआ कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि इस क्षेत्र में जो बाग/वन वर्तमान में मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित रहने दिया जाये। इसी के साथ नियमों में भी खुला पार्क हरित क्षेत्रों का प्राविधान रखा जाये। तद्नुसार प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ, प्रेषित करने के निर्देश हुये।

मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र एवं सन्निकट स्थित क्षेत्र के वर्तमान भूउपयोग को परिवर्तित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में तत्सम्बन्धी मानचित्रों का भी अवलोकन किया गया। स्थल की वास्तविक स्थिति तथा इस हेतु गठित समिति द्वारा सुझाए गए तथ्यों के अनुरूप उक्त औद्योगिक क्षेत्र के लगभग 25 हैक्टेअर भूभाग, कृषि क्षेत्र के लगभग 4 हैक्टेअर क्षेत्रफल को न्यून आवासीय घनत्व एवं निजी स्वामित्व के बृक्ष रहित वन हेतु आरक्षित भूउपयोग का लगभग 4 हैक्टेअर सिटी पार्क के रूप में 25 हैक्टेअर सुरक्षा बल उपयोग

अवशेष 2। हैक्टेअर आवासीय न्यून घनत्व में परिवर्तित करने सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव का -सम्मति से अनुमोदन किया गया। तद्नुसार प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ, प्रेषित करने के श हुये।

5

उद्यान क्षेत्र के अर्न्तगत प्रस्तावित हरवंशवाला-मेहूँवाला के लगभग 10 हैक्टेअर क्षेत्र उद्यान विकसित होने तथा इन स्थलों पर अवैध रूप से भवन निर्माण/भू उप विभाजन के ष्टिगत प्रस्ताव पर तत्सम्बन्धी सजरा मानचित्रों सहित विचार-विमर्श, हुआ। समिति द्वारा ाए गए तथ्यों एवं मानचित्रों आदि के अवलोकन से स्पष्ट हुई स्थल की वास्तविक स्थिति ो देखते हुये सर्व-सम्मति से उक्त गांवों के 10 हैक्टेअर क्षेत्र के भूउपयोग को उद्यान से ावासीय मध्यम घनत्व में परिवर्तित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ुसार प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ, प्रेषित करने के निर्देश हुए।

इसी प्रकार ग्राम जोहड़ी में नाले से परिभाषित तथा महायोजना में उद्यान से परिभाषित . के लगभग 3.00 हैक्टेअर भूभाग का भूउपयोग समिति द्वारा सुझाये गये तथ्यों के दृष्टिगत उद्यान से आवासीय न्यून घनत्व में परिवर्तित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया। तद्नुसार प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ, प्रेषित करने के निर्देश हुये।

2.6

ग्राम सेवलाखुर्द की 2.16 हैक्टेअर भूमि में से वर्तमान में इस स्थल पर 0.04 क्टेअर पर निर्मित दुकानों को छोड़ते हुये शेष भूभाग जिस पर हाईटेंशन विद्युत लाईन गुजर रहीं हैं, को प्राधिकरण को आईलैण्ड पार्क के रूप में विकसित करने हेतु अथवा उक्त क्षेत्र को हरित क्षेत्र के रूप में संरक्षित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार -विमर्श, के उपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि इस प्रस्ताव को प्राधिकरण की आगामी बैठक में तत्सम्बन्धी विस्तृत सामग्री सहित विचारार्थ/निर्णयार्थ, प्रस्तुत किया जाये।

2.7

ग्राम पौंघा के सन्निकट लगभग 65 हैक्टेअर भूमि जिस पर कतिपय आवासों, शैक्षिक संस्थान आदि निर्मित हो चुके हैं, का वर्तमान कृषि भूउपयोग से आवासीय न्यून घनत्व में परिवर्तित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श, हुआ। बैठक में तत्सम्बन्धी मानचित्रों के अवलोकन से स्पष्ट हुई स्थल की वास्तविक स्थिति तथा महायोजना पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार हेतु गठित समिति द्वारा संस्तुतियों के अनुरूप उक्त प्रस्ताव का सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया। तद्नुसार प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ, प्रेषित करने के निर्देश हुये।

ग्राम मोहमदपुर बड़कली,डोंकवाली ,आशारोड़ी को उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एक्ट मुक्त किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि इस हेतु सम्बन्धित ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधानों की लिखित सहमति प्राप्त करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 को अधिकृत किया जाए।

2.9

चन्द्रवनी मार्ग पर सहारनपुर मार्ग के लिंक पर वर्तमान में महायोजना में वन क्षेत्र भूउपयोग जो खेती के उपयोग में है,पर हुए निर्माण तथा सन्निकट ग्रामीण आवादी के दृष्टिगत इस क्षेत्र के लगभग 175 हैक्टेअर भूभाग को स्वपोषित आवासीय न्यून घनत्व क्षेत्र में परिवर्तित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त तथा इस हेतु गठित समिति द्वारा दिये गये सुझावों के दृष्टिगत इस का भूउपयोग वन क्षेत्र से स्वपोषित आवासीय न्यून घनत्व क्षेत्र में परिवर्तित किए जाने हेतु सर्व-सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। तद्नुसार प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के निर्देश हुए।

2.10

देहरादून महायोजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुरूप तथा बैठक के समक्ष तत्सम्बन्धी मानचित्रों के अवलोकन तथा स्थल की वास्तविक स्थिति को देखते हुये उक्त प्रस्ताव का सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया। तद्नुसार प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित करने के निर्देश हुए।

.11

सहस्त्रधारा मार्ग पर उद्योग विकास हेतु आरक्षित प्रस्ताव में वर्णित लगभग 35 हैक्टेअर का भूउपयोग आवासीय न्यून घनत्व किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में विचार विमर्श हुआ। बैठक में तत्सम्बन्धी मानचित्रों को भी अवलोकित किया गया। मानचित्रों के अवलोकन तथा स्थल की वास्तविक स्थिति को देखते हुए इस हेतु गठित समिति द्वारा सुझाए गए बिन्दुओं के अनुरूप सर्व-सम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। तद्नुसार प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने के निर्देश हुये।

25.6.96

2.12

कुंआवाला क्षेत्र में स्थित औद्योगिक ईकाईयों के समीपवर्ती क्षेत्र जिसका वर्तमान उपयो। महायोजना में हरित क्षेत्र में प्रदर्शित है, की लगभग 36 हैक्टेअर भूमि के भूउपयोग का प्रदूषण रहित औद्योगिक उपयोग में परिवर्तित किए जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के समक्ष तत्सम्बन्धी सजरा मानचित्रों को भी प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से महायोजना पुनरीक्षण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं सजरा मानचित्रों के अवलोकन से स्पष्ट हुई स्थल की वास्तविक स्थिति के दृष्टिगत उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। तद्नुसार प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित करने के निर्देश हुए।

2.13

रिस्पना नदी पर नव निर्मित पुल से रेलवे सम्पत्ति के मध्य स्थित भूभाग के भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा हुई। महायोजना पुनरीक्षण के सम्बन्ध में गठित समिति के द्वारा दिये गये सुझावों तथा स्थल की स्थिति को देखते हुये सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्ड के रिस्पना नदी के लगे भूभाग में से 20 मीटर की पट्टिका के भूउपयोग हरित पट्टी तथा उसके पश्चात् बाईपास तक लगे भूभाग का भूउपयोग व्यावसायिक व बाईपास के दूसरी ओर के भूभाग का भूउपयोग आवासीय में परिवर्तित करने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। तद्नुसार निर्देश हुये कि प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाये।

2.14

बैठक के समक्ष प्रस्तुत मानचित्रों के अवलोकन एवं महायोजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में गठित समिति के सुझावों के अनुरूप प्रस्ताव में वर्णित ग्राम पित्थुवाला की 1.95 हैक्टेअर भूमि में से 1.0 हैक्टेअर आवासीय में तथा 0.95 हैक्टेअर भूमि अपरिभाषित तथा हरित क्षेत्र में परिवर्तित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया। तदनुसार प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित करने के निर्देश हुये।

15

ग्राम देहराखास के ख0नं0-682,702, 703 व 712 का भूउपयोग स्थल पर हुए ...; एवं विकास कार्यो को देखते हुये कृषि से आवासीय (मध्यम घनत्व) में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में बैठक के समक्ष प्रस्तुत मानचित्रों के अवलोकन एवं महायोजना के पुनरीक्षएण ... सम्बन्ध में गठित समिति के सुझावों के क्रम में सर्व-सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। तद्नुसार प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित करने के निर्देश हुये।

देहरादून के पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा हुई। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि देहरादून महायोजना का पुनरीक्षण भी मसूरी महायोजना की भांति सन् २०११ तक करने के लिए पृथक से कार्यवाही की जाए।

अतिरिक्त प्रस्ताव :

कांवली मार्ग एवं सेवला कलां मार्ग पर कार्यालय उपयोग हेतु आरक्षित क्षेत्र लगभग ५० हैक्टेयर का भू-उपयोग कार्यालय उपयोग से आवासीय मध्यम घनत्व में परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव पर बैठक में विचार हुआ। बैठक के समक्ष प्रस्तुत सम्बन्धित मानचित्रों आदि के अवलोकनोपरान्त तथा समिति द्वारा सुझाए गए तथ्यों के अनुरूप उक्त ५० हैक्टेयर क्षेत्रफल का भू-उपयोग आवासीय मध्यम घनत्व में परिवर्तित किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। तद्नुसार प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने के निर्देश दिये गए।

३.२

देहरादून महायोजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुरूप तथा बैठक के समक्ष तत्सम्बन्धी मानचित्रों के अवलोकन से तथा स्थल की वास्तविक स्थिति को देखते हुए देहरादून महायोजना में बाईपास के दक्षिण में सीवेज फार्म हेतु आरक्षित भूमि को प्रस्ताव के अनुरूप आवासीय (न्यून घनत्व) में परिवर्तित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। तद्नुसार प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने के निर्देश हुए।

३.३

देहरादून महायोजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुरूप तथा बैठक के समक्ष तत्सम्बन्धी मानचित्रों के अवलोकन से तथा स्थल की वास्तविक स्थिति को देखते हुए भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्देश हुए कि तद्नुसार प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाए।

रजनीगंधा इन्कलेव स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी :

बैठक में उक्त प्रस्ताव में चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा इस स्थल का पुनरीक्षण कर विस्तृत आख्या सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि उपाध्यक्ष, म०द०वि०प्रा० इस सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण कर अपनी संस्तुति अंकित करते हुए प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करें।

... १०

495

0 तायल कैमीकल्स एण्ड मिनरल्स प्रा0 लि0 के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में:

बैठक में उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 द्वारा बैठक में गत् कराया गया कि उक्त संस्था द्वारा प्रश्नगत स्थल पर पूर्व से ही विद्यमान औद्योगिक के विस्तार हेतु इस स्थल के भूउपयोग परिवर्तन हेतु प्रार्थना की गयी है। प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्व- सम्मति से निर्णय हुआ कि उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा इस सम्बन्ध में रूप से विधिक,तकनीकी दृष्टि से तथा स्थल का निरीक्षण कर विस्तृत विवरण सहित ाधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुये बैठक की कार्यवाही त की गयी ।

(के0एल0शर्मा) उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 देहरादून	(एम0रामचन्द्रन) आयुक्त/अध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 देहरादून